पंजीकृत

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय
45–गांधी रोड, देहरादून

पत्रांकः 382 /2–8–4(3)/2018–19 दिनांकः 12 जुलाई, 2018

श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
राधाभवन स्प्रिंग रोड, सरकुलर रोड,
मसूरी, जनपद–देहरादून।
मो0नं0 : 9911699151, 8920146712

विषय :– अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रेषण।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत आपके द्वारा राधाभवन स्प्रिंग रोड, सरकुलर रोड, मसूरी, जनपद–देहरादून में अपने आवासीय भवन के कक्षों को पंजीकरण कराने हेतु किये गये आवेदन के क्रम में जिला पंजीकरण एवं परीक्षण समिति द्वारा आवासीय भवन के किये गये भौतिक निरीक्षण एवं संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा पंजीकरण हेतु अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत किये गये प्राविधानो के अनुरुप होम स्टे का संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उक्तवत पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(के0 एस0 रावत)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

45–गांधी रोड, देहरादून

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016)

के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्रः–

एतद्दारा राज्य शासन की अधिसूचना संख्या–4041/2–7–129/2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा अतिथि–उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली–2015 (प्रथम संशोधन नियमावली–2016) एवं 4154/2–7–129/2017 दि0 09 मार्च 2017 के अन्तर्गत विहित शर्तो व नियमों के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार उल्लिखित होम स्टे को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिए (दि0 09 जुलाई 2020 तक) संचालन की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1– संस्तुत श्रेणी : ब्रांज (शहरी क्षेत्रान्तर्गत)

2– पंजीयन संख्या : हो0स्टे–2018/104

3– भवन व भवन स्वामी का नाम व पूरा पता : राधा होम स्टे
श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
राधाभवन स्प्रिंग रोड, सरकुलर रोड, मसूरी, जनपद–देहरादून।

दूरभाष संख्या/मो0नं0 : 9911699151, 8920146712

4– व्यवसाय : प्रा0 कार्य

5– पंजीकृत कक्ष

(क)दो शैय्या वाले कक्ष	: 05	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्तुत अधिकतम दर	: ₹ 800/–
(ख)फैमिली सूट/4 शैयया कक्ष	: 01	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्तुत अधिकतम दर	: ₹ 1000/–
कुल पंजीकृत कक्ष	: 06	कुल पंजीकृत शैय्यायें	: 14

6– **भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध/भवन स्वामी के उत्तदायित्वः–**

I. भवन स्वामी होटल की भांति आवास मे स्वागत पटल (रिसेप्शन काउन्टर) नही लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भांति ही रहेगा।

II. भवन स्वामी कोई ऐंसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नही करेगा जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

III. इकाई के विषय मे भ्रामक सूचनायें प्रचलित नही करेगा तथा किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नही होगा।

IV. निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर अनिवार्य रुप से बडे व स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

V. विदेशी पर्यटकों के आवास की सूचना फार्म–सी पर तत्काल शहरी क्षेत्रो में जोकि पुलिस के नियंत्रणाधीन हों की दशा में स्थानीय थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्राम प्रहरी/पटवारी/राजस्व पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

VI. आवास करने वाले पर्यटकों हेतु एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें निर्धारित प्रारुप के अनुसार सूचना अंकित करनी होगी। गृह आवास में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है, यदि कोई पर्यटक इस अवधि से अधिक गृह आवास में रहना चाहता है तो इस स्थिति में पुनः पंजीकरण करने हेतु गृह आवास स्वामी की सहमति आवश्यक होगी। भवन स्वामी द्वारा आगन्तुक पंजिका एवं बिल बुक/कैश रसीद का सत्यापन क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय देहरादून से कराना अनिवार्य होगा।

VII. आने वाले पर्यटकों की पर्यटक सांख्यिकी निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कार्यालय को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

VIII. कमरों/प्रसाधन कक्षों की उचित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं उनका रख–रखाव उत्तम स्तर का होने के साथ अग्निशमन सुरक्षा उपकरणो से संरक्षित करना अनिवार्य होगा।

IX. पंजीकृत इकाई का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समस्त अभिलेख मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। रख–रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

X. यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XI. यदि भवन स्वामी द्वारा दी जा रही सुविधाओं मे किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना 30 दिन के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी अन्यथा समिति द्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।

XII. भवन स्वामी द्वारा पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीयन की अवधि पूर्ण होने पर यह पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका अग्रेत्तर संचालन पूर्णतया अवैध होगा।

XIII. पंजीकृत किये गये कक्षों से अधिक कक्षों का संचालन किये जाने तथा संस्तुत की गयी दैनिक किराये की दर से अधिक किराया वसूल किये जाने की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XIII. समस्त सुसंगत नियम/अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियम विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पंजीयन की स्थिति में किसी शिकायत अथवा वाद की दशा में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

XIV. योजनान्तर्गत पंजीकरण से सम्पत्ति के स्वामित्व का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XV. पुलिस वैरीफिकेशन के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

XVI. योजना के प्रदर्शित किये जाने वाले साइनबोर्ड पर **होम स्टे** लिखना अनिवार्य होगा।

दिनांकः 10 जुलाई 2018

(के0 एस0 रावत)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।